

 सत्यमेव जयते	केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021	
---	---	---

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/378/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	08/ RTI/2021-2022
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री बिपीन कुमार शर्मा/ Shri Bippin Kumar Sharma, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर Central GST & Central Excise(H.Q) Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	09.07.2021
ड E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	सुश्री श्रुति गुप्ता, 6-सी, एसएफएस श्रेणी I फ्लैट, शेख सराय, चरण नई दिल्ली, पिनकोड:- Ms Shruti Gupta, 6C, SFS Category 1 Flats, Seikh Sarai, Phase-1, New Delhi - 110017

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन राव, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर 2 री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao, Addl. Commissioner, Central

GST & Central Excise, Gandhinagar, 2nd floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश

सुश्री श्रुति गुप्ता, 6-सी, एसएफएस श्रेणी। फ्लैट, शेख सराय, चरण नई दिल्ली, पिनकोड:- द्वारा अपना आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2021 को दाखिल किया है, जो की केंद्रीय वस्तु सेवाकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय जी.एस.टी क्षेत्र, अहमदाबाद, जी.एस.टी भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाड़ी, अहमदाबाद-380015 को प्रेषित किया गया है। उक्त आवेदन पत्र फ़ासं.GCCO/RTI/APP/405/2021-Tech दिनांक 03.06.2021 सहायक आयुक्त(सीपीआईओ), प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय जी.एस.टी अहमदाबाद क्षेत्र से सहायक आयुक्त(सीपीआईओ), केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई), 2005 की धारा 6(3) के तहत दिनांक 09.06.2021 को प्राप्त हुआ है, जिसका उत्तर सीधे आवेदक को भेजना है।

Ms Shruti Gupta, 6C, SFS Category 1 Flats, Seikh Sarai, Phase- 1, New Delhi - 110017 has filed an RTI application dated 24.05.2021. The said application was forwarded to the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST Zone, Ahmedabad, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015. The letter F.No.GCCO/RTI/APP/405/2021-Tech dated 03.06.2021 of the Assistant Commissioner, Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone was received in this office of the Central GST & Central Excise, Gandhinagar on **09.06.2021** as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005 for submitting the reply of the application directly.

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है।

In this regards, the required information pertaining to H.Q. office is as follows:-

1. Number of anonymous/ pseudonymous complaints received in CBIC and its subordinate offices.(Month-wise since September -2020 to April-2021) Two(02)Pseudonymous complaints.

2. NIL
3. NIL
4. NIL
5. NIL
6. NIL

त्वरित डाक/रजिस्टर ऐ डी द्वारा
By Speed Post/Regd. AD

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ,
Central Public Information Officer,
केवसेक व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
CGST & Central Excise,Gandhinagar

सेवा में To,

सुश्री श्रुति गुप्ता,

6-सी, एसएफएस श्रेणी I फ्लैट, शेख सराय,

चरण नई दिल्ली, पिनकोड:-110017

प्रतिलिपि:-

1. सहायक आयुक्त (सीपीआईओ) (केंद्रीय लोक सूचना का अधिकार), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय की फ़ासं. GCCO/RTI/APP/405/2021-Tech दि. 03.06.2021 के संदर्भ में जानकारी हेतु |
- 2.सहायक आयुक्त, (प्रणाली) केंद्रीय वस्तु सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए|